फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बायतु

दीपाराम बनाम पुनमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं ......35/17...... सन् **2016**

तारीख हुक्म	**हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज**	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.17	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह आवेदन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किया गया। वकील प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी की पैतृक कब्जा काश्तशुदा कृषि भूमि मौजा खोथों की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण बाधा, हस्तक्षेप करने व भूमि पर कच्चा–पक्का निर्माण करने पर आमादा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है। अतः विप्रार्थी को आगामी पेशी तारीख 27.03.2017 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा खोथों की ढाणी पटवार मण्डल हीरा की ढाणी तहसील गिड़ा के खसरा नम्बर 12, 101, 104, 249, 293/12, 337/100 रकबा क्रमशः 170.12, 19.10, 09.04, 16.03, 48.00, 51.04 बीघा भूमि में विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा, हस्तक्षेप, व्यवधान कारित नहीं करें, न ही किसी प्रकार का बैचान करें, न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण, ग्रेवल सड़क का निर्माण आदि करें तथा मौके व रैकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 27.03.2017 को पेश हों। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

27/03/17

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फ़र्द तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली वाईन्दा दिनांक 05/06/17 को पेश हो।

05/06/17

प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील फ़र्द तामील अप्राप्त। पीठासीन अधिकारी न्याय आपके द्वार - 2017 अभियान में व्यस्त होने से मिशल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/06/17 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशानुसार प्रभावी रहेगा।

22/06/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान-2017 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ... की ढाणी में रखी गई प्रार्थी व विप्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा अपना मूल वाद Not press कर दिया गया है इसलिए आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन को खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)
...